# न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

पीठासीन अधिकारी– पीयूष समारिया, IAS जिला कलक्टर, कोटा
प्रकरण संख्या 06/2025

श्री लालाराम परिहार, 89–ए रेल्वे सोसायटी बजरंग नगर नयापुरा कोटा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलकटर, कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का
अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

दिनांक 02.07.2025

अपील का सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि-लालाराम परिहार, ने दिनांक 24.12.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां आवेदन प्रस्तुत कर जिला स्तरीय जनसुनवाई कोटा प्रार्थना पत्र दिनांक 16.8.2024 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कोटा, कार्य आदेश वाहन टेक्सी संचालन वित्तिय वर्ष 2017–18, से 2020 –21 कार्य आदेश 240–43 दिनांक 20.3.2020 उक्त अवधि में संचालन में अनियमितताये, फर्जी बिलो का भुगतान उठाये जाने में जिला सैनिक सचिव व जिला कलक्टर कोटा, शिकायत में इन्द्राज सभी शिकायतों में विधि सम्मत सक्षम अधिकारी को जांच में आदेश दिया गया /नहीं दिया गया के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी –

1. आरोपी भ्रष्टाचार लोक सेवक पर नियमानुसार जांच का आदेश देने में सक्षम होने या नहीं होने की सूचना उपलब्ध करावें ।
2. सूचना का अधिकार 2005 में राजस्थान सूचना आयोग जयपुर में जनवरी 2018 से द्वितीय अपीलों /परिवादों में सुनवाई तिथि / निर्णिय एस.पी.आई.ओ(अति0 जिला कलक्टर कोटा) सूचना आयोग उपस्थित दर्ज /पक्ष रखा गया उन सभी अपीलों /परिवादों में एस.पी.आई.ओ. का नाम निर्णय में उल्लेखित हो अपीलों /परिवादों की मय अपीलार्थी को सूची उपलब्ध करावें ।

उक्त सूचना नहीं मिलने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2025 को प्रथम अपील प्रस्तुत करना बताया है, किन्तु तत्समय प्रथम अपील इस न्यायालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया तथा द्वितीय अपील राज्य लोक सूचना आयोग को अपील संख्या 2025 /004860 प्रस्तुत की गई, अब अपीलांट ने आवेदन दिनांक 24.12.2024 के सम्बन्ध में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा से प्रकरण के सम्बन्ध में वांछित टिप्पणी भिजवाने हेतु पत्रांक/ रीडर/डीएम/ 2025/178 दिनांक 19.6.2025 लिखा गया तथा अपीलांट को भी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पत्रांक/179 दिनांक 19.6.2025 लिखा गया किन्तु अपीलान्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है ।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा ने अपने पत्रांक/ सूचना/ प्रथम अपील/221 दिनांक 26.6.2025 से अपील के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की गई । आवेदक अपीलांट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है ।

लोक सूचना अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में कथन किया है कि श्री लालाराम परिहार की अपील दिनांक 16.6.2025 के प्रसंग में अंकित सूचना आवेदन दिनांक 24.12.2024 के संबंध में आवेदक द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील संख्या RIC/KOTA/A/2025/004860 की गई थी एवं उक्त द्वितीय अपील दिनांक 15.5.2025 को पारित निर्णयानुसार खारिज कर दी गई थी । उक्त सूचना आवेदन दिनांक 24.12.2024 के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय द्वारा जिला सैनिक कल्याण विभाग कोटा को आवेदन अन्तरित कर दिया गया था, जिसके उपरान्त जिला सैनिक कल्याण विभाग कोटा ने पत्र कमांक/3642–44 दिनांक 10.6.2025 से सूचना आवेदक को भिजवा दी गई थी, उक्त

आवेदन दिनांक 24.12.2024 के संबंध में राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय में निम्न टिप्पणी की गई है–" अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 24.12.2024 के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि वांछित सूचना विशिष्टीविहीन एवं सृजनात्मक है जो प्रश्नों के उत्तरों में चाही गई है, सूचना आवेदन से स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी किस विशिष्टीकृत अभिलेख की प्रति चाहता है । सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(F) की परिधि में सूचना के अन्तर्गत प्रश्नों के उत्तर दिया जाना सम्मिलित नहीं है । अधिनियम की धारा 6(1)(B) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियां अंकित करना अपेक्षित है । अधिनियमानुसार, सामग्री से निष्कर्ष निकाल कर तथ्यों को खोजकर, सूचना का सृजन कर, आवेदक को उपलब्ध कराये जाने की अध्यापेक्षा लोक सूचना अधिकारी से नहीं की जा सकती है । " इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी ने आगे यह भी कहा है कि उक्त आवेदन से संबंधित अपील राज्य सूचना आयोग, जयपुर से खारिज हो चुकी है एवं जिला सैनिक कल्याण विभाग कोटा द्वारा भी आवेदक को सूचना भिजवा दी गई है जिस कारण इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है, अपील खारिज फरमाई जावें ।

हमने प्रस्तुत अपील एवं आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2024 एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी एवं राजस्थान राज्य सूचना आयोग के द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिनांक 14.5.2025 का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा दिनांक 16.8.2024 को जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में जो सूचना चाही गई है, उसकी प्रथम अपील दिनांक दिनांक 24 जनवरी 2025 को प्रस्तुत करना बताया है किन्तु प्रथम अपील इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होना पाया गया है, आवेदक द्वारा द्वितीय अपील राजस्थान राज्य लोक सूचना आयोग जयपुर में प्रस्तुत की गई, जिसमें लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर दिनांक 15.05.2025 को निर्णय पारित किया जाकर अपीलार्थी की द्वितीय अपील इस आधार पर खारिज की जा चुकी है कि आवेदन दिनांक 24.12.2024 से चाही गई सूचना प्रश्नों के उत्तरों के रूप में चाही गई है जो विशिष्टीविहिन एवं सृजनात्मक है, तथा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(F) की परिधि में सूचना के अन्तर्कर्गत प्रश्नों का उत्तर दिया जाना सम्मिलित नहीं होने द्वितीय अपील खारिज की जा चुकी है । सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो सूचना चाही जा रही है उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना अपेक्षित है तथा दस्तावेज के रूप में चाही गई सूचना ही दी जा सकती है । प्रश्नात्मक सूचना का सृजन किया जाकर अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने का प्रावधान नहीं है ।

परिणामस्वरूप आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2024 से सम्बन्धित द्वितीय अपील राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर द्वारा अपील सारहीन होने से खारिज की जा चुकी है, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कोटा को अन्तरित किया जा चुका है, तथा लोक सूचना अधिकारी उप निदेशक सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा अपने पत्र कमांक/3642–44 दिनांक 10. जून 2025 से आवेदक अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील औचित्यहीन होने से खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 2.7.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा